संख्या-310/2017/2133/22-2-2016-17(468)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय, निवासी-ग्राम-रामपुर रामगुलाम, थाना-जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 17.06.2001 को सायं 07:30 बजे अपनी सगी मां एवं सौतेली मां के मध्य हुए विवाद में तमंचे से फायर कर सौतेली मां की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 03-02-2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 21-04-2016 तक 14 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 30 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा सौतेली मां की तमंचे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 46 वर्ष है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय (बन्दी संख्या-45142) पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-310/2017/2133(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-310/2017/2133/22-2-2016-17(468)/2016

दिनांक 20 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय, निवासी-ग्राम-रामपुर रामगुलाम, थाना-जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 17.06.2001 को सायं 07:30 बजे अपनी सगी मां एवं सौतेली मां के मध्य हुए विवाद में तमंचे से फायर कर सौतेली मां की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 03-02-2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। बन्दी द्वारा दिनांक 21-04-2016 तक 14 वर्ष 09 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 06 माह 30 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा सौतेली मां की तमंचे से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 46 वर्ष है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है, सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कृष्णमोहन पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।